

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक

सुशांत झा,  
विशेष सचिव  
सेवा में,  
प्राचार्य,  
राजकीय महिला पोलिटेक्निक, पटना

पटना, दिनांक

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के “मुख्यशीर्ष— 2203 –तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष—00, लघुशीर्ष—112–इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या—43, उपशीर्ष—0105—कौशल विकास मिशन” (विपत्र कोड 43-2203001120105) के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—3558, दिनांक 31.12.2018 के द्वारा विभागान्तर्गत सभी राजकीय पोलिटेक्निक संस्थानों एवं राजकीय अभियंत्रण संस्थानों द्वारा नामित नियमित शिक्षकों को कैम्ब्रिज एसेसमेन्ट इंग्लिश द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज एवं पेडगॉगी इन्हैन्समेंट हेतु प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं प्रमाणन व्यय हेतु कुल रु. 5,37,450=00 (पांच लाख सौ चार चार सौ पचास रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 2003 प्रशिक्षण व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से रु. 5,37,450=00 (पांच लाख सौ चार चार सौ पचास रुपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 2561 / वि.(2), दिनांक 17.04.1998, पत्रांक—354, दिनांक 28.03.2018 तथा पत्रांक—6903, दिनांक 13.09.2018 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा—निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280 / वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी० भी० नं० एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/ —

(सुशांत झा)  
विशेष सचिव

झापांक— वि.प्रा.(III)ब<sup>3</sup> —14/2016—

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —

तिशेष स्मृति

ज्ञापांक – वि.प्रा.(III)ब<sup>३</sup> – 14/2016–

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

विशेष सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(III)ब<sup>३</sup> – 14/2016–

१५(मे) /पटना, दिनांक ८-१-२०१९

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त निदेशक (आई.आई.आई.) सह नोडल पदाधिकारी/उप निदेशक (यो)/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल/विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) / एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

हृषीकेश  
३